महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की योजना

mnn';

इस योजना का उद्देश्य बालिका भ्रूण–हत्या की समस्या पर काबू पाना, स्त्री–पुरुष अनुपात में असंतुलन को रोकना, बालिकाओं के जन्म लेने का वातावरण बनाना तथा दिल्ली में महिलाओं और बालिकाओं की जरूरतों को पूरा करना है।

foRrh; lgk;rk

दिल्ली सरकार बालिका के जन्म पर रु.10,000/– की राशि देगी। जन्म के पंजीकरण के तुरंत बाद दिल्ली सरकार द्वारा बालिका के लिए एक खाता खोलकर उसमें रु.10,000/– जमा किए जाएंगे।

इसके अलावा, विभिन्न समय–अंतराल पर उसी खाते में रु.5,000/– की राशि जमा की जाएगी। यह राशि कक्षा I, कक्षा VI, कक्षा IX में दाखिले के समय, कक्षा X उत्तीर्ण करने पर और कक्षा XII में दाखिले के समय हर बार दी जाएगी।

ik=rk

- बालिका का जन्म दिल्ली में होना चाहिए। जन्म 01 जनवरी, 2008 से पहले नहीं होना चाहिए। इससे पहले जन्मी बालिकाएं 2008–09 में कक्षा I, कक्षा VI, कक्षा IX में दाखिले के समय या कक्षा X उत्तीर्ण करने पर इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
- अभिभावकों की वार्षिक आय रु. 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- योजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक आवेदक, आवेदन की तिथि से कम से कम तीन वर्ष पहले से दिल्ली के बोनाफाइड आवासी होने चाहिए।

इस योजना के लिए आवेदन–पत्र नजदीकी महिला एवं बाल विकास जिला कार्यालय/ आंगनवाड़ी केंद्र/भारतीय स्टेट बैंक की चुनी हुई शाखाओं में जमा किया जाए।

vf/kd tkudkjh d fy, lidl djl &

महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,
1, कैनिंग लेन, कस्तूरबा मार्ग, नई दिल्ली – 110 001
या वेबसाइट www.wcddel.in पर देखें।